न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—35 / 2018 / 225 (2018 / 00035)

1. रामलाल पुत्र सुवालाल, जाति रेगर, निवासी ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. घासीलाल,
2. गोपीलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2 / 1— रामजी विधवा गोपीलाल,
   2 / 2— प्रकाश पुत्र गोपीलाल,
   2 / 3— शिवाजी पुत्र गोपीलाल,
3. अमरचंद,
4. श्योराज,
   रेस्पो0 संख्या 1 से 4 पुत्रगण छगना, जाति रेगर, निवासी ग्राम रामनेर ढाणी, तह0 व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

5. मंगलाराम,
6. मोहनलाल,
7. कैलाशचंद,
8. श्रीमती कान्ता पुत्री स्व0 सुवालाल,
9. रामप्यारी पुत्री स्व0 सुवालाल,
   प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 5 से 8 समस्त पुत्रगण स्व0 सुवालाल, जाति रेगर, निवासी ग्राम रामनेर ढाणी, तह0 व जिला अजमेर ।
10. रतनलाल पुत्र स्व0 किशनराम,
11. भंवरलाल पुत्र स्व0 किशनराम,
12. देवकरण पुत्र स्व0 किशनराम,
    प्रफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 10 से 12 समस्त जाति रेगर, नि0 ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील व जिला अजमेर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा **रेस्पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक जिलाधीश (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 5.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 51 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री तुलवीरसिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री एन0एस0 राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. रेस्पो0 संख्या 5 से 12 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 13.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के निर्णय दिनांक 5.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 12 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील व जिला अजमेर अवस्थित साबिक खपसरा नंबर 180 रकबा 13—17—00 बीघा जिसके भूप्रबंध की कार्यवाही पश्चात् नवीन वर्किग खसरा नंबर 178 रकबा 13—17—10 बीघा कायम किये गये है । यह भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक अंकित रही है जिसे आवंटन नियमों के तहत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी रामदेव पुत्र कुमा, जाति रेगर को आवंटित की जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गय है । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी/आवंटी रामदेव पुत्र कूमा द्वारा उक्त भूमि को दातारसिंह पुत्र कानसिंह, जाति राजपूत को विकय किया जाकर कब्जा व दखल प्रदान किये जाने से नायब तहसीलदार लीव रिजर्व, अजमेर के प्रार्थना पत्र धारा 175 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दिनांक 12.5.1976 को प्रकरण दर्ज किया गया जो प्रकरण वाद पत्र संख्या 32/1978 के रूप में परिवर्तित किया जाकर दिनांक 17.9.1978 को सहायक कलक्टर, अजमेर के आदेशानुसार विधिवत् निर्णय व सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रेषित किया गया । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा सुनवाई किये जाने के उपरांत विधिक प्रावधानों का उल्लघंन मानते हुए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी रामदेव पुत्र कूमा के खातेदारी अधिकारों को अपने निर्णय दिनांक 23.7.1979 द्वरा समाप्त कर उक्त भूमि को सिवायचक अंकित किये जाने के आदेश पारित किये जिसके आधार पर जरिये नामांतकरण संख्या 106 दिनाक 9.6.1980 को उक्त भूमि सिवायचक अंकित कर दी गई । उक्त भूमि सिवायचक दर्ज होने पर प्रार्थीगण की माता श्रीमती बरदी पत्नी स्व0 छगना द्वारा राजस्व कैम्प रामनेर ढाणी के समक्ष उक्त भूमि को आवंटित किये जाने हेतु दिनांक 5.2.1983 को आवेदन पेश किया जिस पर विधिवत् जांच एवं कार्यवाही के उपरांत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा साबिक खसरा नंबर 180 रकबा 13—17—00 मे से 180/2 रकबा 6—17—10 भूमि श्रीमती बरदी पत्नी छगना को आवंटन आदेश दिनांक 5.2.1983 के तहत आवंटित की जाकर भौतिक आधिपत्य प्रदान किया गया । भूप्रबंध विभाग ने त्रुटिवश गैर कानूनी रूप से वर्तमान आधार भूत जमाबंदी में पूर्व में निरस्त खातेदारी को पुनः अंकित कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के नाम जरिये विरासत खातेदारी अंकित कर दी है । उक्त गलत अंकन के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 5.7.2016 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्रप स्वीकार कर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अनुशीलन व मनन नहीं कर अपीलांट व प्रफोर्मा रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर नहीं देकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट व प्रफोर्मा रेस्पो0 की कृषि भूमि 13–17–10 के राजस्व रिकार्ड के कॉलम में खातेदार के रूप में दर्ज होने के बावजूद जो आदेश दिया है वह रिकार्ड के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट व प्रफोर्मा रेस्पो0 के वर्तमान कब्जे काश्त को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने लोक अदालत के बहाने अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर नही देकर त्रुटि कारित की है । बहस में यह भी कथन किया कि रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने लोक अदालत प्रशासन आपके द्वार में दिनांक 5.7.2016 को अभिभाषक/पक्षकारों की अनुपस्थिति के बावजूद उपस्थिति दर्ज कर मनमाने तरीके से दिनांक 2.6.2016 को जारी एकपक्षीय आदेश की पुष्टि कर कन्फर्म कर दिया जबकि अप्रार्थीगण को सूचित भी नहीं किया गया था । उक्त आदेश का ज्ञान अपीलांट को दिनांक 18.11.2017 को तब हुआ जब वादपत्र के साथ धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकपक्षीय स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया । तत्पश्चात् आदेश की प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 के पूर्वाधिकारी रामदेव पुत्र कूमा जाति रेगर को प्रकरण में निहित विवादित भूमि आवंटित की गई थी परन्तु आवंटी द्वारा विधिक प्रावधानों की अवहेलना किये जाने से अंतर्गत धारा 175 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत कार्यवाही सम्पादित की जाकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 23.7.1979 को आवंटन आदेश एवं उसके आधार पर अंकित खातेदारी को निरस्त किया जाकर जरिये नामांतकरण संख्या 106 दिनांक 9.6.1980 द्वारा विवादित भूमि को सिवायचक अंकित कर दिया । तत्पश्चात् प्रकरण में निहित भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की माता श्रीमती बरदी पत्नि स्व0 छगना को राजस्व कैम्प रामनेर ढाणी में विधिवत् आवेदन किये जाने पर अवांटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 5.2.1983 के अनुसार आवंटित की जाकर कब्जा काश्त प्रदान किया गया था । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की माता के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त कराने हेतु अमरसिंह पुत्र कानसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) विद्वान जिलाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे निर्णय दिनांक 17.5.1985 द्वारा निरस्त कर श्रीमती बरदी पत्नि छगना के पक्ष में किया गया आवंटन विधिवत् माना गया है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 आवंटी बरदी के विधिक वारिसान होकर विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है । किन्तु वर्तमान में सम्पन्न भू–संशोधन के उपरांत वर्तमान में कायम की गई आधार जमाबंदी में पुनः अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित कर दिया गया है।

विवादित भूमि से अपीलांट का कोई हक, अधिकार संबंध नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील मे हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतगत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 2.6.2014 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 5.7.2016 को दिनांक 2.6.2014 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश कन्फर्म करने के आदेश पारित किये है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रामनेर ढाणी, तह0 व जिला अजमेर स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 180 रकबा 13–17–00 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 178 रकबा 13–17–10 कायम किये उक्त भूमि अप्रार्थीगण/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 के पूर्वज रामदेव को आवंटित की गई थी । जिसके द्वारा दातारसिंह को बैचान किये जाने के फलस्वरूप तहसीलदार द्वारा धारा 175 राज0काश्त0अधि0 की कार्यवाही की जाकर विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने की कार्यवाही की जाकर नामांतकरण संख्या 106 दिनांक 9.6.1980 को सिवायचक का अंकन किया गया । विवादित आराजी सिवायचक दर्ज होने के उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 से 4/प्रार्थीगण की माता श्रीमती बरदी पत्नि छगना को उक्त भूमि में से रकबा 6–17–10 बीघा भूमि दिनांक 5.2.1983 को आवंटन की गई । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की माता को हुए आवंटन को निरस्त कराने हेतु अमरसिंह द्वारा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) के तहत पेश किया जिसे विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 17.5.1985 से खारिज किया गया है । बंदोबस्त विभाग द्वारा विवादित भूमि के आधारभूत खसरा नंबर बनाते समय विवादित आराजी को पुनः अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 के नाम जरिये विरासती नामांतकरण संख्या 73 से दर्ज कर दिया गया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की माता के नाम किया गया आवंटन आदेश आज दिनांक प्रभावी है । अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 के नाम किये गलत इंद्राज बाबत् प्रार्थीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद विचाराधीन है । विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का होना प्रकट होता है । पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पक्ष में पाया जाता है । यदि वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट रेस्पो0 को विवादित आराजियात से बेदखल करते है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को मध्यनजर रखकर प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें

हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्यायाा0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.7.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर